eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

महिलाओं के सामाजिक एवं लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध भारतीय न्यायिक दण्ड व्यवस्था एवं मानवाधिकार

[1]डॉ0 शत्रुघन
[1]असिस्टेण्ट प्रोफेसर–शिक्षा संकाय, श्रीकृष्ण जनका देवी महाविद्यालय मंगलपुर, कानपुर देहात

Received: 31 August 2023 Accepted and Reviewed: 31 August 2023, Published : 10 September 2023

Abstract

विश्व के अधिकांश देश पुरूष प्रधान देश रहे हैं, यह भी सर्वविदित है कि इन देशों में महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही और भारत भी इसका अपवाद नहीं रह सका जबकि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को प्राचीन काल से ही पूज्यनीय माना गया है। कहा भी गया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, लेकिन फिर भी भारत में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से ही काफी खराब रही है।न्याय, सामाजिकता, आर्थिक और राजनैतिक जीवन सम्बन्धी संवैधानिक गारण्टी और स्वतन्त्रता, समानता व सम्मान युक्त जीवन के आश्वासन के वाबजूद आज यौन अभद्रता व दूसरे यौन अपराध पति, रिश्तेदार या मित्रों के रुप में लाखों महिलाओं के जीवन को अपना शिकार बना रहे है। समान अधिकार के लिए नीति सम्बन्धी सभी सैद्धान्तिक संकेतक, संवैधानिक गारण्टियॉ व सुरक्षात्मक साधन केवल कागजों पर ही निहित हैं एक औसत भारतीय महिला अभी भी प्रथाओं, आदतों, पूर्व धारणाओं और आचरण के अलिखित, संकेतकों द्वारा शासित होती है।

शब्द संक्षेप– भारत में महिला अधिकार, सामाजिक एवं लैंगिक भेदभाव, भारतीय न्यायिक दण्ड व्यवस्था एवं मानवाधिकार।

Introduction

भारत के विधि आयोग को तथा 1992 में स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं से सम्बन्धित कानूनो के सम्बन्ध में व्यापक कार्य करने का श्रेय प्राप्त है इनके कार्य करने की शैली महिलाओं के साथ भागीदारी की रही है तथा इसी से सामान्य रुप से सभी लोगो में और विशेषकर महिलाओं मे जागरुकता पैदा करने में उनका भारी योगदान रहा। महिलाओं के मुद्दों पर विचार करने हेतु कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय दिये गए है लेकिन अभी भी न्यायपालिका द्वारा सभी स्तरो पर महिलाओं के सभी सरोकारो पर जोरदार ढंग से व्यापक रुप से विचार नही किया गया है।

संविधान में महिला समता– धारा 15सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस धारा से स्पष्ट है, कि महिलाएँ एवं समाज के अन्य सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है तथा उनकी जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर न तो उनके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जा सकता है, न दुकानो, सार्वजनिक भोजनालयो, होटलो, मनोरंजन के स्थान पर उनके प्रवेश को प्रतिबन्धित किया जा सकता हैं यही नही **संविधान के अनुच्छेद 15(iii)** में स्पष्ट उल्लेख है कि इस अनुच्छेद की कोई बात महिलाओं एवं बालको की प्रगति हेतु विशेष उपबन्ध करने से निवारित नही करेगी। इसी प्रकार संविधान की **धारा 19(1)** के अन्तर्गत महिलाओं व समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी नागरिको को लोक व्यवस्था, सदाचार भारत की अखण्डता व सुरक्षा के आधीन स्वतन्त्रापूर्वक अपनी बात कहने, भारत के किसी भी राज्य में अबाध विचरण करने, निवास करने व अपनी इच्छा के अनुरुप व्यवसाय

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

करने का अधिकार है। इसी प्रकार **धारा 23** के द्वारा महिलाओं व समाज के अन्य कमजोर वर्गो की हर प्रकार से शोषण से मुक्ति की रक्षा का उपबन्ध करके स्वतन्त्रता पर आधारित समतामूलक समाज की रचना के उद्देश्य को और अधिक व्यापक बनाया गया है। अनुच्छेद **23(i)** के अनुसार मानव का दुर्व्यापार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम प्रतिषिद्ध होने के कारण उनके शारीरिक व अनैतिक शोषण के लिए (वेश्यावृत्ति के लिए) किसी भी रुप में क्रय विक्रय निषिद्ध है व भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 367, 370, 372 एवं 373** के अन्तर्गत दण्डनीय है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी पुरुष अथवा महिला से उसकी इच्छा के प्रतिकूल कोई श्रम कराने के लिए उन्हें बाध्य करता है तो उनका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 374 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code)

धारा 294 : सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करना या अश्लील गाने गाना एवं अश्लील शब्दों का उच्चारण करना।

धारा 313 : स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करना या कराना।

धारा 366 : किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना, बल प्रयोग करना या इसकी संभावना होना।

धारा 366क: विवाह करने को विवश करने के लिए किसी भी स्त्री का अपहरण करना, उत्प्रेरित करना या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करना।

धारा 372 : वेश्यावृत्ति के लिए या किसी अयुक्त व्यक्ति से संभोग करने के लिए नाबालिग लड़की को बेचना या भाड़े पर देना।

धारा 375 एवं 376:– किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या सहमति के बिना या उसकी सहमति से, जबकि सहमति उसे मृत्यु का भय दिखाकर प्राप्त की गई हो, या उस स्त्री की सहमति से जबकि वह स्त्री उसे भूलवश अपना पति माने या उस स्त्री की सहमति से जबकि वह नाबालिग है। इस परिस्थितियों में किया गया संभोग बलात्कार माना जाता है तथा वह धारा 376 के तहत् दण्डनीय है।

धारा 493 : छलकपटपूर्वक अपने को किसी स्त्री से विवाहित होने का विश्वास जताकर उससे संभोग करना।

धारा 397 : किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ उसके पुरुष की सहमति के बिना संभोग करना जो बलात्कार की कोटि में नही आता, उसे इस धारा के तहत दुष्कर्म का दोषी मानते हुए दण्ड दिया जा सकेगा।

धारा 498 : किसी अन्य पुरुष की पत्नी को (विवाहित) फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना।

भारतीय समाज में देखा जाय तो महिलाओं की कहानी घर से प्रारम्भ होती है और घर में ही दफन हो जाती है। जब लड़की अपने माता–पिता के पास होती है तो वे घर गृहस्थी के कार्यों में जुटाये रखते हैं और विवाहोपरान्त ससुराल में जाती हैं तो अपने पति, सास, ससुर और फिर बच्चों में उलझ कर रह जाती हैं। परिणामस्वरूप वह बाहर की दुनियाँ से लगभग पूरी तर अपरिचित रहती हैं। इसलिए उपर्युक्त श्लोक में कहा है कि ''महिलाओं की कहानी घर से प्रारम्भ होती है और

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

घर में ही दफन हो जाती हैं।'' इसे चमत्कार कहा जाय या ''सामाजिक तकनीकी' कि पुरूष प्रधान देशों में महिलाओं की स्थिति लगभग एक समान है।

महिला संरक्षण के उपाय

1. हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधित) अधिनियम–2005 के द्वारा पिता की सम्पत्ति में पुत्र के समान पुत्रियों को भी भागीदार बनाया गया।
2. Protection of women from the domestic violence Act 2005 इस अधिनियम के तहत शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक व यौन उत्पीड़न सहित सभी प्रकार की घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान किया गया है।
3. बाल विवाह निषेध अधिनियम–2004 यह कानून दिसम्बर 2006 में राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है जिसमें बाल विवाह करने वाले अभिभावकों को सजा का प्रावधान है।
4. भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाओं व मानवाधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को अपना समर्थन दिया है जिनमें महिलाओं के समान अधिकार की बात उठाई गयी है। इनमें से प्रमुख हैं 1993 में लाई गई महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन की घोषणा।
5. द मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन (1975), नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी (1985), द बीजिंग डिक्लेरेशन तथा प्लेटफार्म ऑफ एक्शन (1995) व 21वीं शताब्दी में लैगिक समानता तथा विकास व शक्ति पर आयोजित (UNGA) सत्र द्वारा ग्रहण किया गया आउटकम डॉक्यूमेन्ट को भी भारत को पर्याप्त समर्थन मिला। यह नीति नौवीं पंचवर्षीय योजना महिला सशक्तीकरण से जुड़े अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रतिबद्ध है।

हिन्दु विवाह अधिनियम 1956 की धारा 5(iii) के अन्तर्गत विवाह योग्य आयु लड़के के लिए न्यूनतम 21 वर्ष एवं लड़की के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तय की गई है।

धारा 2 में शब्द 'दहेज' की जो परिभाषा–

''दहेज ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के लिए या विवाह के किसी पक्ष के माता–पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विवाह करने के सम्बन्ध में विवाह के समय या उससे पूर्व या पश्चात, किसी भी समय, प्रत्यक्ष या परोक्ष दी जाने वाली या दी जाने के लिए प्रतिज्ञा की गयी है।''

यदि विवाह के पश्चात अतिरिक्त दहेज के रुप में (टी0वी0 एवं स्कूटर की) मॉग की जाती है तो यह भी धारा 2 के अर्थान्तर्गत दहेज ही माना जायेगा।

दहेज की मॉग को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498(क) के अन्तर्गत निर्दयता माना गया है और यह दण्डनीय अपराध है।

दहेज रुपी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए सन् 1961 में 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम' पारित किया गया। सन् 1984 में एवं सन् 1986 में इसमें व्यापक संशोधन किये गये। इसे और अधिक कठोर बनाया गया। इतना ही नही, सन् 1985 में नियम बताकर वर–वधू के दिये जाने वाले उपहारो की सूची रखना आवश्यक किया गया।

अधिनियम की प्रमुख बातें

1. इस अधिनियम को 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961' कहा जा सकेगा।
2. इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में होगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

3. इस अधिनियम में 'दहेज' से तात्पर्य है–

क) विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिए, या

ख) विवाह के किसी पक्ष के माता–पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिए।

4क)दहेज लेने या देने के लिए शास्ति (सजा):– इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद जो कोई भी दहेज देता है या लेता है अथवा लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पॉच वर्ष की होगी और पन्द्रह हजार रुपयों या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम के जो भी अधिक हो, हो सकने वाले जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

4ख)दहेज मॉगने के लिए शास्ति (सजा):– यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्षतः वर या वधू के माता–पिता या अन्य रिश्तेदारो या पालक से दहेज मॉगता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास से कम नही होगी किन्तु जो दो वर्षों तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपयो तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

महिला हिंसा एवं मानवाधिकार- इन सबके बावजूद विश्व संस्था का आदर करते हुए तथा अन्य राष्ट्रों से एकजुटता बताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना एवं व्यवस्था के अन्तर्गत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 निर्मित किया था, और उसी के पश्चात् राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तीस अनुच्छेद वाले मानवाधिकार घोषणा–पत्र में जिन अधिकारों का उल्लेख है उनमें स्त्री–पुरूष का भेदभाव किए बिना वैयक्तिक जीवन, दैहिक स्वतंत्रता सुरक्षा एवं स्वाधीनता, दासता से मुक्ति, निरंकुश गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से मुक्ति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई का अधिकार, अपराध प्रमाणित न होने पर निरपराध माने जाने का अधिकार, आवागमन एवं आवास की स्वतंत्रता, किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, बसने का अधिकार, सम्पत्ति रखने का अधिकार, विचार धर्म उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शान्तिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतदान करने और सरकार में शामिल होने का अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समुचित जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समाज के सांस्कृतिक जीवन में सम्मिलित होने का अधिकार जैसे अधिकार शामिल हैं।

अधिनियम की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण का अनुतोष कुछ निश्चित परिस्थितियों में प्रदान किया गया है। पृथक्करण की यह व्यवस्था हिन्दू विवाह अधिनियम के लागू होने के पूर्व के विवाहों और अधिनियम के पारित होने के बाद के विवाहों पर समान रूप से लागू होती है। पति–पत्नी दोनों इसके लिए याचिका दे सकते हैं।

विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम 1976 के अधीन न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के आधार एक समान हो गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार न्यायिक पृथक्करण के आधार और अधिक संख्या में हो गये हैं जो निम्नलिखित हैं–

(1) जहाँ प्रत्युत्तरदाता ने विवाह के बाद स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लैंगिक सम्भोग किया हो।

(2) **क्रूरता** (Cruely)– जब याची के साथ एक दूसरे पक्ष ने क्रूरता का व्यवहार किया है।

(3) **अभित्याग** (Desertion)– जब याची का दूसरे पक्ष ने दो वर्ष तक लगातार अभित्याग किया हो (धारा 19–ए)।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

(4) **कोढ़** (Lebrosy)– जब दूसरा पक्ष याचिका दायर करने के एक वर्ष पहले घोर कोढ़ से पीड़ित रहा हो (धारा 10–सी)। (विवाह विधि संशोधन अधिनियम, 1976 के अनुसार)

(5) **रतिजन्य रोग (संक्रमण)** (**Venereal Disease**)– जब दूसरा पक्ष याचिका दायर करने के पूर्व से ऐसे रतिजन्य रोग से पीड़ित रहा हो जो सम्पर्क से दूसरे को भी हो सकता है।

(6) **मानसिक विकृतता**– जब प्रत्युत्तरदाता उपचार से ठीक न होने योग्य मस्तिष्क विकृतता से पीड़ित हो अथवा इस प्रकार की मानसिक अव्यवस्था से लगातार अथवा बार–बार पीड़ित रहा है और इस सीमा तक पीड़ित रहा है कि याची प्रत्युत्तरदाता के साथ युक्तियुक्त ढंग से नहीं रह सकता।

(7) **धर्म परिवर्तन**– यदि प्रत्युत्तरदाता धर्म परिवर्तन द्वारा हिन्दू नहीं रह गया है तो याची इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है।

(8) **संसार परित्याग**– विवाह का कोई पक्षकार जब संसार का परित्याग करके सन्यास धारण कर लेता है तो दूसरा पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है।

(9) **प्रकल्पित मृत्यु**– यदि विवाह के किसी पक्षकार के बारे में सात वर्ष या इससे अधिक समय से उन लोगों के द्वारा इसका जीवित होना नहीं सुना गया है जो इसके विशेष सम्बन्धी हैं।

महिला उत्पीड़न- भारतीय समाज में औरत का नसीब संस्कृतियों, क्षेत्रों, वर्गों एवं धर्मों में व्यापक अन्तर होने के बावजूद हर जगह एक जैसा रहता हैं। कुछ बातें ऐसी हैं, जो उसे तिरस्कार व अपमान सहन करने को नियति मानने के लिए विवश कर देती है। **'औरत को मारपीट कर ही वश में रखा जा सकता है'** औरत के बारे में यह धारणा अनपढ़ तथा गॅवार लोगों में ही नहीं बल्कि शिक्षित लोगों में भी काफी संख्या में है। महिलाओं को न केवल घर में बल्कि घर से बाहर सड़क पर स्कूल में कालेज में हर जगह बन्धनों से अवगत कराया जाता है। बदलते परिवेश में पुरुषों तथा महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है।

घरेलू हिंसा- महिलाओं पर किये जाने वाले उत्पीड़न की बात करें तो वे सर्वप्रथम पारिवारिक उत्पीड़न की शिकार होती है भौतिकवादी वैश्वीकरण के इस दौर में व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं व भौतिक जरुरतों को पूरा करने के लिए अपराध करने से भी नही चूकता हैं परन्तु इन अपराधो में आज का सर्वाधिक ज्वलंत व महत्वपूर्ण विषय है–महिलाओं के प्रति हिंसा।

यह सुखद पहलू है कि पत्नी या घर की औरतों के साथ जोर जबरदस्ती व हिंसक बर्ताव के आदी पुरुषों के खिलाफ महिलाओं को सरकार ने एक मजबूत कानूनी हथियार प्रदान करने की सूरत में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में घरेलू हिंसा को रोकने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कानून के बनाने के बाद 1976 के एफसीआरएफ कानून को समाप्त करके घरेलू हिंसा की विस्तार से व्याख्या की गई। अब इसमें वास्तविक प्रताड़ना, प्रताड़ना की घमकी, शारीरिक, यौन, मौखिक भावनात्मक व आर्थिक उत्पीड़न को भी शामिल किया जायेगा।

महिलाओं का अश्लील निरुपण- एक आदर्श नारी एवं कुशल गृहिणी कहलाने वाली महिला को आज व्यावसायिक प्रचार प्रसार का माध्यम बना दिया गया है। सभी प्रकार की वस्तुओं को यहॉ तक कि शराब के प्रचार में भी नारी के ही चित्र देखने को मिलते हैं माडलिंग में अंग प्रदर्शन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रदर्शन करने वाले विज्ञापनों में महिलाओं का अशिष्ट रुपण किया जाता है। इसी के निवारण के लिए संसद द्वारा 1986 में 'महिलाओं का अशिष्ट रुपण (निषेध) अधिनियम पारित किया गया।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

1. इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन न तो करेगा और न ही करायेगा अथवा महिलाओं के अशिष्ट रुपण सम्बन्धी किसी प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नही करेगा।
2. कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक, पुस्तिका पेपर, स्लाइड, लेखन, फिल्म, रेखाचित्र, रंगचित्र, छायाचित्र रुपण या चित्र जिसमें महिलाओं का किसी रुप में अशिष्ट रुपण किया गया हो, न तो उत्पादित करेगा और न ही उत्पादित करायेगा, न विक्रय करेगा तथा न उसका वितरण या परिचालन करेगा या डाक द्वारा भेजेगा।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबन्ध, जहॉ तक सम्भव हो इस अधिनियम से की गई तलाशियों और अभिग्रहण पर उसी प्रकार लागू होगे जैसे कि वे उक्त संहिता के अधीन धारा 94 के लिए जारी वारण्ट के प्राधिकार के अधीन की गयी तलाशी पर लागू होते है।
4. कोई व्यक्ति जो धारा 3 या 4 के उपबन्धो का उल्लंघन करता है, प्रथम बार दोष सिद्धि पर 2 वर्ष तक के कारावास या 2 हजार तक के जुर्माने से तथा दूसरी या तीसरी बार दोष सिद्ध होने पर 6 मास से 5 वर्ष के कारावास व दस हजार से एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित होगा।

मानव अधिकार एवं भारतीय महिलायें – मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारो से है जो एक व्यक्ति को मानव होने के नाते मिलना चाहिए? वे अधिकार जो उनमें मानव होने के नाते अन्तर्निहित है, वे अधिकार जो एक मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति को गरिमामय जीवन व्यतीत करने में मानवाधिकार सहायता करते है।

महिला परिवार की धुरी होती है। माँ बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। यदि किसी परिवार की महिला शिक्षित हो तो वह आपके परिवार की देखभाल कुशलतापूर्वक कर सकती है। परन्तु यदि शिक्षित होने पर भी स्त्री, परिवार द्वारा स्वयं पर किए गए अत्याचार को सहती रहे तो उसका स्वयं का व्यक्तित्व तो कुण्ठित होता ही है। साथ ही कुण्ठित माँ का बच्चा भी कुण्ठाग्रस्त हो जाता है। अतः महिलाओं के उत्थान के लिए न केवल उनका शिक्षित होना आवश्यक है बल्कि वैधानिक रूप से साक्षर होना भी आवश्यक है, ताकि वे अपने विरूद्ध किये जाने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सके। परिवार में महिलाओं को इतनी स्वतन्त्रता अवश्य मिलनी चाहिए कि वह अपने विचार खुलकर प्रकट कर सके। सरकार द्वारा स्त्रियों की सुरक्षा हेतु बनाये गये अधिनियमों का सही लाभ तभी मिल सकता है जब महिलाएँ वैधानिक रूप से साक्षर होकर अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ कार्यवाही हेतु विधिक सहायता लेकर अपने जीवन में सुधार लाये।

प्रायः देखा जाता है कि स्त्रियों को अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचारों की रोकथाम हेतु बने कानूनों की जानकारी तो होती है फिर भी वे इस दिशा में वैधानिक रूप से जागरूक होकर अत्याचार करने वाले के विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु कदम नहीं उठाती है। इसका कारण महिलाओं का जीवन यापन के लिए अपने पति पर निर्भर होना विवाह के पश्चात महिलाओं के माता पिता द्वारा सहयोग देने में असमर्थता जताना भी होता है। इसी के साथ कानूनों की सही व पूर्ण जानकारी न होना भी एक प्रमुख कारण है। अतः प्रस्तुत शोध में उन्हें उनकी सुरक्षा हेतु बने अधिनियमों की जानकारी देने के साथ ही उन्हें वैधानिक रूप से साक्षर व जागरूक बनाने का प्रयास भी किया गया है। प्रस्तुत लघुशोध में देखा गया है कि उच्च शिक्षित महिलाऐं वैधानिक दृष्टि से जागरूक होने के बाद भी सामाजिक व पारिवारिक दबाव में आकर भी अत्याचारों के खिलाफ विधिक सहायता लेने में संकोच करती हैं। अतः भारतीय परिवेश में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति वैधानिक रूप से साक्षर बनाने हेतु व उनकी विधिक जागरूकता विकसित करने हेतु उन्हें वैधानिक अधिकारों के संरक्षण

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

सम्बन्धी कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है। जिससे महिलाऐं विषम परिस्थिति में भी अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। जिससे एक स्वस्थ व सुसंगठित समाज की संरचना सम्भव हो सके।

सन्दर्भ सूची-

- आशुरानी (2011): ''महिला विकास हेतु भारत सरकार की नीतियाँ तथा कार्यक्रमका अध्ययन''
- ईसा अग्रवाल (2016) : ''महिलाओं की राजनीति में बढती सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण का अध्ययन''
- मीरा वर्मा (2017) ''ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की स्त्रियों की स्थिति का मूल्याकंन'' भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
- लाल, रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- सारस्वत, डॉ0 मालती (1998), शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, प्रकाशक– आलोक प्रकाशन, इलाहाबाद
- सुखिया, ए0पी0 (1977), शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व,प्रकाशक– विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, प्रथम संस्करण।
- सिंह, डा0 अनिल कुमार (2015) ने :''विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के नगरीय एवं ग्रामीण पुरूषों की बालिका–शिक्षा के प्रति अभिव्यक्ति'', एम.एड. लघु शोध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- वर्मा, मीरा (2013)–''ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की स्त्रियों की स्थिति का मूल्याकंन'' भीमराम अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
- द्विवेदी, श्याम मनोहर (1999) ''नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र–छात्राओं की शिक्षा के सम्बन्ध में अभिभावकों की मनोवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन'', एम0एड0 लघु शोध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
- **पत्रिकाएं:**
- कुरूक्षेत्र (मासिक पत्रिका–अंक 4,7 वर्ष) : महिला विकास एवं सशक्तिकरण, नई दिल्ली, 2017
- प्रतियोगिता दर्पण : बालिका शिक्षा की उपयोगिता एवं महत्व, आगरा पब्लिकेशन, अंक–44, वर्ष 2019।
- योजना, सितम्बर अंक 42वाँ, 2019